कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 952/11–सी–FP/UP/Pipeline/53780/2020, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 20 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 (नई संख्या–09) दिल्ली–लखनऊ मार्ग के कि0मी0 34.00 से कि0मी0 49.80 तक कुल 15.80 कि0मी0 सड़क के किनारे पर भूमिगत 12 ईंच तथा 125 एमएम (5) व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0ई0पी0 गैस पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एमएम (2 ईच व्यास की डक्ट) बिछाये जाने हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Pipeline/53780/2020**

संदर्भ– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी 77/81–2–2021–800(73)/2021, दिनांक–08.04.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक–885/14–1 दिनांक 07.09.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–952/11–सी– FP/UP/Pipeline/53780/2020, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
3– श्री अजय त्यागी वाईस प्रेसीडेन्ट प्रोजेक्ट, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0 भवन प्लाट नं0–4 कमन्युनिटी सेन्टर, आर0के0 पुरम, सेक्टर–9, नई दिल्ली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

aL